ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 23/अनुदेश/2015-ईआरएस

दिनांक : 09 जुलाई, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : निर्वाचक नामावली की प्रति के प्रतिधारण की अवधि पर स्पष्टीकरण-तत्संबंधी।

महोदय,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 32 के वर्ष 2013 में संशोधन के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली द्वारा उनके दिनांक 12 मई, 2015 के पत्र सं. एफ. 2(65)/सीईओ/ईआर/वीडिंग आउट/2015/31923 द्वारा एक स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या नियम 34 के अधीन वर्ष 1980 से वर्ष 2013 तक की अवधि की निर्वाचक नामावलियों को अब नष्ट किया जा सकता है क्योंकि ऐसे रिकार्ड बहुत सारी जगह घेर रहे हैं।

इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1980 में नियम 32, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित करता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद निर्वाचक नामावली की एक पूर्ण प्रति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे किसी अन्य स्थान पर, नामावली के अगले गहन पुनरीक्षण पूर्ण होने के पश्चात एक वर्ष की समाप्ति तक रखी जाएगी और यह भी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की एक पूर्ण प्रति जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो, को भी प्रकाशन की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर रखी जाएगी। बाद में, वर्ष 1987 में, प्रतिधारण की इस अवधि को 'स्थायी बोर्ड' (रिकार्ड) के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया था। ईसीआई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए विधि एवं न्याय मंत्रालय ने दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 की अपनी अधिसूचना संख्या एसओ-3242(ई) के द्वारा अब इसमें और संशोधन कर दिए हैं। विद्यमान नियम 32 निम्न प्रकार से है-

[5]**[32. नामावलियों और संसक्त कागजपत्रों की अभिरक्षा और परिरक्षण -** पुनरीक्षण के पश्चात किसी नामावली का अंतिम प्रकाशन**]-**

(क) नामावली की अधिप्रमाणित एक मुद्रित प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, अगले गहन पुनरीक्षण या संक्षिप्त पुनरीक्षण के पश्चात ऐसे अंतिम प्रकाशन के पश्चात कम से कम एक वर्ष तक रखी जाएगी;

(ख) नामावली की एक अधिप्रमाणित मुद्रित प्रति स्थायी अभिलेख के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रखी जाएगी;

(ग) नामावली की इलेक्ट्रॉनिकी रूप में प्रति स्थायी अभिलेख के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में रखी जाएगी;

(घ) नामावली की अतिरिक्त प्रतियों का अगला पुनरीक्षण पूरा होने के पश्चात यथाशीघ्र निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से निपटान किया जा सकेगा;

(ङ) नामावलियों के पुनरीक्षण से संबंधित सभी अन्य कागजपत्र जैसे कि प्रगणना पैड, गृह-से-गृह सत्यापन के लिए उपयोग की गई नामावलियों की प्रतियों, उनके आधार पर तैयार की गई पांडुलिपियों, प्रविष्टियों में शुद्धि के लिए दावे और आक्षेप तथा प्रविष्टियों को अन्यत्र रखा जाना (प्ररूप 6, प्ररूप 6क, प्ररूप 7, प्ररूप 8 और प्ररूप 8क) तथा उनके निपटान से संबंधित सभी कागज पत्र, यथास्थिति, अगले गहन पुनरीक्षण या संक्षिप्त पुनरीक्षण पूरा होने के पश्चात कम से कम तीन वर्ष तक रखे जाएंगे।

अत: उपर्युक्त के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि-

क) वर्ष 2013 के बाद वाली अवधि हेतु- (i) नामावली की अधिप्रमाणित एक मुद्रित प्रति अगले गहन पुनरीक्षण या संक्षिप्त पुनरीक्षण, यथा मामला, के पश्चात नामावली के ऐसे अंतिम प्रकाशन के कम से कम एक वर्ष तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास रिटेन की जाएगी। (ii) नामावली की एक अधिप्रमाणित मुद्रित प्रति स्थायी रिकार्ड के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास रिटेन की जाएगी। (iii) इलेक्ट्रॉनिक फार्म में नामावली की एक प्रति स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में रखी रिटेन की जाएगी।

ख) वर्ष 1987-2013 की अवधि हेतु- निर्वाचक नामावली की एक पूर्ण प्रति को ईआरओ के कार्यालय में या सीईओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर नामावली के अगले गहन पुनरीक्षण के पूरे होने के पश्चात एक वर्ष की समाप्ति तक और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामावली की पूर्ण प्रति को भी स्थायी रिकॉर्ड के रूप में सीईओ द्वारा यथा विनिर्दिष्ट स्थान पर रखा जाएगा।

ग) जहां वर्ष 1987 से पहले की नामावलियों को प्रमाणित प्रति/प्रतियां उपलब्ध हैं, इनमें से एक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की अन्य प्रति सहित स्थायी रिकॉर्ड के रूप में सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में रखा जाएगा।

इसके अतिरिक्त आयोग यह भी निदेश देता है कि राज्य में निहित सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पिछले वर्षों की निर्वाचक नामावलियों का अतिरिक्त पूरा एक सेट इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी रखा जाएगा।

(जहां तक जम्मू-कश्मीर राज्य का संबंध है, यह केवल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों पर ही लागू होगा।)

शासकीय रिकार्ड को नष्ट करने के लिए विधिवत प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात अतिरिक्त प्रतियों को नष्ट किया जा सकता है।

भवदीय,

(आर के श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव